न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–डॉ0 अमित यादव, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या –327/2022
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2022/433

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
श्रीमती तारकी पत्नी श्री पप्पुराम उम्र 42 वर्ष, जाति–नट, निवासी कुम्पड़ास,तहसील–मेड़ता, जिला नागौर।		1. तहसीलदार मेड़ता 2. पटवारी हल्का छापरी खुर्द

उपस्थिति :–
1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री मुकेश सारस्वत।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पुनिया ।

: निर्णय : दिनांक : 08.08.2023

अपीलांट ने धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत मौजा कुम्पड़ास तहसील मेड़ता का म्यूटेशन संख्या 293 जो तहसीलदार मेड़ता द्वारा दिनांक 25.11.2010 को अस्वीकृत किया गया है, से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 13.10.2022 को प्रस्तुत की है। अपीलान्ट की अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर, अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश किया है। मयाद प्रार्थना पत्र पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की है, जो बहुत ही मजबुत बिनाय पर आधारित है। जिसमें अपीलान्ट को कामयाबी मिलने की पूरी–पूरी आशा है। मौजा कुम्पड़ास की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 443 रकबा 1.03 हैक्टेयर में से रकबा 0.515 हैक्टेयर दक्षिण तरफ बेचाननामा में बताये पाड़ौस बीच की भूमि को अपीलान्ट व पप्पूदेवी पत्नी श्री बालुराम, जाति नट, निवासी कुम्पड़ास ने जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 20.07.2010 को उक्त खातेदारान से खरीद की थी और विक्रेतागण ने अपीलान्ट व पप्पूदेवी का मौके पर कब्जा करवा दिया था। बेचाननामा की नकल अपीलान्ट ने नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु हल्का पटवारी छापरी खुर्द को दे दी और अपीलान्ट, हल्का पटवारी के विश्वास में रही कि नामान्तरकरण हल्का पटवारी दर्ज कर देगें। अपीलान्ट अनपढ, ग्रामीण परिवेश की महिला होने के कारण बाहर आना–जाना कम ही होता है तथा राजस्व रेकर्ड भी देखने का काम कभी नही पड़ा और हल्का पटवारी पर विश्वास करने के कारण कभी रेकर्ड की जांच भी नही की। अभी हाल ही में के.सी.सी. ऋण के लिये नकले दिनांक 10.10.2022 को प्राप्त की तब अपीलान्ट को उसके नाम बेचाननामा के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज नही किये जाने की जानकारी हुई, जिससे जानकारी से अन्दर मयाद अपीलान्ट यह अपील पेश की है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा हुई देरीना अवधि की माफी बक्शी जाकर प्रार्थी की अपील अपीलांट ने जानकारी से अंदर मियाद शुमार किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

राजपैराकार ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुए मयाद प्रार्थना पत्र मय अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है। वकुलाय की बहस पर मनन

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

किया। प्रार्थीया ने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कथनों के समर्थन में स्वंय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील की सुनवाई की जाकर गुणावगुण के आधार निर्णय किया जाना उचित हैं।

वकील श्री मुकेश सारस्वत ने बहस में कथन किया कि मौजा कुम्पड़ास की सरहद के खसरा नम्बर 443 रकबा 1.03 हैक्टेयर भूमि सुवादेवी, बस्तीदेवी, छोटूदेवी, माडूदेवी पिसरान पुरखाराम, जातियान मेघवाल, निवासीगण कुम्पड़ास की खातेदारी की आयी हुई थी। उक्त खसरा नम्बर 443 रकबा 1.03 हैक्टेयर में से रकबा 0.515 हैक्टेयर दक्षिण तरफ बेचाननामा में बताये पाड़ौस बीच की भूमि को अपीलान्ट व पप्पूदेवी पत्नी श्री बालुराम, जाति नट, निवासी कुम्पड़ास ने जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 20.07.2010 को उक्त खातेदारान से खरीद कर ली और प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि खातेदारान को प्राप्त होने पर खातेदारान ने उक्त विक्रीत आराजी पर अपीलान्ट व पप्पूदेवी का मौके पर काश्त व कब्जा करवा दिया। जिस पर अपीलान्ट ने बेचाननामा व कब्जा, काश्त के आधार पर अपने नाम नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को बेचाननामा की नकल पेश की, जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपीलान्ट की जाति को गलत बताते हुए नामान्तरकरण की कार्यवाही खारिज कर दी।

योग्य अदालत मातहत का आदेश जैर अपील खिलाफ कानून व रूहेदाद मिसल है। मौजा कुम्पड़ास की सरहद के खसरा नम्बर 443 रकबा 1.03 हैक्टेयर में से रकबा 0.515 हैक्टेयर दक्षिणी तरफ की बेचाननामा में वर्णित पाड़ौस बीच की भूमि को खरीद किया, तब उक्त खसरा के खातेदारान सुवादेवी वगैराह ने अपीलान्ट के पक्ष में एक बेचाननामा दिनांक 20.07.2010 को उप पंजीयक कार्यालय मेड़तासिटी में पंजीयन करवाया। उक्त बेचाननामा में भी अपीलान्ट व पप्पूदेवी की जाति "नट" दर्ज है। अगर अपीलान्ट व पप्पूदेवी की जाति "नट" नही होती तो उप पंजीयक कार्यालय द्वारा बेचाननामा पंजीयन नही किया जाता और ना ही अनुसूचित जाति की भूमि का रजिस्टर्ड बेचाननामा उप पंजीयक कार्यालय मेड़ता में पंजीयन होता। मगर आपसी रंजिश व गांव की राजनीति के कारण उक्त नामान्तरकरण को अपीलान्ट की गलत जाति बताकर खारिज करवाया गया हैं।

अपीलान्ट की जाति "नट" है, जिसके संबंध में उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली) द्वारा एक अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र भी दिनांक 04.04.2019 को अपीलान्ट के नाम से जारी किया हुआ है। जिससे भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट की जाति "नट" है। मगर फिर भी अपीलान्ट का नामान्तरकरण खारिज करने में रेस्पोडेन्ट ने बड़ी भारी भूल की है व विधि की त्रुटि करने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट न अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को नामान्तरकरण संख्या 293 दिनांक 25.11.2010 स्वीकार करने एवं बेचाननामा दिनांक 20.07.2010 व कब्जा, काश्त के आधार पर अपीलान्ट व पप्पूदेवी के नाम खातेदारी का इन्द्राज दर्ज करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि ग्राम कुपड़ास के खसरा नम्बर 443 की भूमि का सुवादेवी, बरजीदेवी, छोटू देवी, माडूदेवी पि0 पुरखाराम जाति मेघवाल से पप्पुदेवी पत्नी बालूराम, तारकी पत्नी पप्पुराम जाति नट, मगराम पुत्र भागाराम नट द्वारा क्रय करने पर रजिस्टर्ड बेचाननामा के आधार पर पटवारी छापरी खुर्द द्वारा नामान्तकरण संख्या–293 भर कर प्रस्तुत किया। इसी नामान्तकरण पर पटवारी द्वारा यह भी रिपोर्ट की गई की पप्पुदेवी, तारकी, व मगराम की जाति नट नहीं होकर भाट है। परिवार राशन कार्ड संख्या–31 दिनांक 8.5.2010 के अनुसार उपरोक्त की जाति भाट है। भू–अभिलेख निरीक्षक मेड़तारोड़ द्वारा इस नामान्तकरण पर रिपोर्ट की कि "जॉच की गयी। पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि केता की जाति नट नहीं होकर भाट है। अतः काबिल खारिज है, उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार मेड़ता द्वारा दिनांक 25.11.10 को उक्त नामान्तकरण संख्या–293 अस्वीकृत किया हैं,जो सही खारिज किया हैं,क्योंकि एक अनुसूचित

कलक्टर नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

जाति के व्यक्ति की भूमि बगैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को विक्रय नहीं की जा सकती है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

राजपैरोकार का यह भी कथन है कि उक्त संबंध में वकील अपीलान्ट ने पंजीबद्ध बेचाननामा दिनांक 20.07.2010 की प्रति तथा अपीलान्ट तारकी ने उपखण्ड अधिकारी, जैतारण(पाली) द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र दिनांक 04.04.2019 की प्रति हस्तगत अपील के साथ प्रस्तुत कर तर्क दिया कि उक्त बेचाननामा में अपीलान्ट तारकी व पप्पुदेवी की जाति नट लिखी हुई तथा जाति प्रमाण पत्र में तारकी पुत्री तोगाराम की जाति नट लिखी हुई है। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट तारकी व पप्पुदेवी द्वारा बेचाननामा में स्वंय की जाति भाट के स्थान पर नट गलत रूप से अंकित की है तथा जाति प्रमाण पत्र जो अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें तारकी की जाति नट अंकित है, उक्त जाति प्रमाण पत्र हस्तगत प्रकरण में नामान्तरकरण आदेश दिनांक 26.11.10 के बाद का अर्थात 04.04.2019 को जारी करवाया गया है, जो बाद में स्वंय के नाम उक्त बेचाननामा के आधार पर स्वंय के नाम नामान्तरकरण दर्ज करवाने हेतु गलत रूप से जारी करवाया जाना प्रतीत होता है। जबकि पटवारी की उक्त नामान्तकरण पर रिपोर्ट अनुसार पप्पुदेवी, तारकी, व मगराम की जाति नट नहीं होकर भाट है। परिवार राशन कार्ड संख्या–31 दिनांक 8.5.2010 के अनुसार उपरोक्त की जाति भाट है। भू–अभिलेख निरीक्षक मेड़तारोड़ की रिपोर्ट अनुसार उनके द्वारा जाँच की गयी एवं पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि केता की जाति नट नहीं होकर भाट होना बताया है। अपीलान्ट द्वारा उक्त राशन कार्ड की प्रति प्रस्तुत नहीं की है एवं उक्त बेचाननामा से पूर्व का ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित हो की अपीलान्ट की जाति भाट नहीं होकर नट हो। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश नामान्तकरण जैर अपील आदेश दिनांक 26.11.10 पूर्णतया सही है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत नामान्तरकरण संख्या 293 के अवलोकन से यह प्रकट हैं कि पटवारी हल्का द्वारा बेयनामा दिनांक 20.07.2010 के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया हैं। उसके बाद में नोट में यह अंकित किया हैं कि केता पप्पूदेवी,तारकी व मगराम की जाति नट नहीं होकर भाट हैं काबिल खारिज हैं। इस नामान्तरकरण में अलग से यह भी लिखा गया हैं कि परिवार राशन कार्ड संख्या 31 दिनांक 08.05.10 के आधार पर उपरोक्त की जाति भाट हैं। भू0अभिलेख निरीक्षक ने अपनी टिप्पणी में यह अंकित किया हैं कि जांच की गयी। पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि केता की जाति नट नही होकर भाट हैं। अतः काबिल खारिज हैं। तहसीलदार,मेड़ता द्वारा भू0अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर अस्वीकृत के आदेश दिये हैं। इस प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा परिवार राशन संख्या 31 दिनांक 08.05.2010 का अंकन किया हैं परन्तु तहसील कार्यालय से प्राप्त रिकार्ड के साथ उक्त राशन कार्ड की प्रति प्राप्त नहीं हुई हैं एवं न ही रेस्पोडेन्टान द्वारा तथाकथित राशन कार्ड की प्रति न्यायालय में पेश की हैं। नामान्तरकरण पर भू0अभिलेख की जाँच रिपोर्ट में यह अंकित हैं कि पूछताछ करने पर जानकारी मिली की केता की जाति नट नहीं होकर भाट हैं। इस रिपोर्ट से भी यही प्रकट हैं कि केवल पूछताछ के आधार पर ही खारिज की रिपोर्ट की हैं,दस्तावेज प्राप्त नहीं किये हैं। तहसीलदार द्वारा भी इस रिपोर्ट के आधार पर नामान्तरकरण अस्वीकृत का आदेश पारित किया हैं। उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से प्रथम दृष्टिया यही प्रतीत होता हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 293 पर आदेश दिनांक 26.11.2010 पारित करने से पूर्व आवश्यक पूर्ण दस्तावेज प्राप्त नहीं किये हैं एवं न ही अपीलांट की जाति के संबंध में तत्समय के दस्तावेज प्राप्त कर उनकी जाँच की गई हैं,जो इस प्रकरण में आवश्यक था।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,मेड़ता द्वारा पारित नामान्तरकरण जैर अपील आदेश निरस्त

कलक्टर नागौर

किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,मेड़ता को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वह प्रकरण में पक्षकारान को नियमानुसार साक्ष्य, सबूत व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर तथा केता की जाति नट एवं भाट के संबंध में तत्समय(बेयनामा के समय) के दस्तावेज प्राप्त कर उन दस्तावेजों की पूर्ण जॉच कर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। तहसीलदार,मेड़ता को आदेशित किया जाता हैं कि आवश्यक होने पर राशन कार्ड संख्या 31 दिनांक 08.05.2010 की प्रति/जॉच भी सम्बन्धित संस्था/कार्यालय से प्राप्त की जावें। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,मेड़ता को मूल नामान्तरकरण लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अमित यादव)
जिला कलक्टर, नागौर